कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांकः— 5008 /13—1 ललितपुर, दिनांकः— 14 जून/2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।

विषय— जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जाखलौन बिरधा, धौर्रा, बालावेहट, कड़ेसरा कलां और मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने जाने हेतु प्रभावित 2.024058 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 6.137750 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 8.161809 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक—8बी/यू0पी0/08/75/2023/एससी/170, दिनांक 09.06.2023।

प्रस्ताव सं0— **FP/UP/Water/155091/2022.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रकरण में परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया। उक्त कमियों का निराकरण कर प्रकरण संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

आपत्ति	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण
1. Name of the work order approving authority and issuing authority should be submitted for initiating action in accordance with clause 3A and 3B of FCA	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), डोढ़ा घाट ललितपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक—1540/ W-30/440, दिनांक 09.06.2023 द्वारा अवगत कराया कि योजना का नाम जाखलौन, बिरधा, धौर्रा, बालावेहट, कड़ेसरा कलां और मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य आदेश सं0—1798/ W-17/PMC(BID)/ 2020-21, दिनांक 27.11.2020 द्वारा मै0 गायत्री रामकी को कॉन्ट्रेक्ट का आदेश प्रदान किया गया था (आदेश की प्रति संलग्न है)। प्रस्ताव सं0—FP/UP/Water/155091/2022 में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), डोढ़ा घाट ललितपुर ने प्रस्ताव में बिना अनुमति प्रदान किये वन भूमि में कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं किया जायेगा की वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न है (वचनबद्धता संलग्न है)।
2. CA scheme on NFL including soil work needs to be uploaded/submitted.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु की गयी प्रस्तावित योजना ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड कर दी गयी है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।
3. DFO to re-inspect the area proposed for CA (NFL) for accessing the suitability of land for plantation.	जल जीवन मिशन के अनतर्गत प्रभावित 6.137750 हे0 आरक्षित एवं 2.024058 हे0 संरक्षित एवं कुल 8.161809 हे0 वनभूमि के बदले ग्राम कारीपहाड़ी में 6.14 हे0 गैर वनभूमि जिलाधिकारी ललितपुर के आदेशानुसार वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी। आज दिनांक 08.06.2023 को उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि 6.14 हे0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के उपरान्त 2.50 हे0 ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिसके व्यय प्रमाण पत्र और उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक—2)। शेष 3.64 हे0 अनुपयुक्त गैर वनभूमि के बदले दुगुनी अवनत वनभूमि (7.28 हे0 अर्थात 7.30 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित किया जा रहा है। सम्बन्धित 7.30 हे0 के जिओ रिफरेन्स मैप, SOI toposheet एवं Kml file की सीडी प्रस्ताव के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है (संलग्नक—3)।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

E:ANKIT/STTLEMENT/Gaytr 155091

पत्रांक :—　　　　　/सम दिनांक

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3. आयुक्त झांसी, मण्डल झांसी।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।
5. जिलाधिकारी, ललितपुर।
6. अपर जिलाधिकारी/नमामि गंगे, ललितपुर।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर